

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----------------------------------	---

12⁶/₁₈ पत्रावली पेश हुई नकिल जायी उपस्थित
अपकी के नोटिस अलग है एवं अपकी
का जवाब भी अलग है पत्रावली
नम्बर 15.6.18
को पेश की गई।

15⁶/₁₈ पत्रावली पेश हुई पाठसान आचरण
पत्रावली नम्बर 15.6.18
वतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
20.6.18 को पेश हो

बाधा है

20⁶/₁₈ पत्रावली पेश हुई नकिल जायी उपस्थित
अहम मुक्त पत्रावली का नम्बर 15.6.18
अपकी के नोटिस अलग है अलग पत्रावली
के अन्तर्गत पर अपकी की जाति
"अवत" से "अवत" करी करने का
आदेश दिया जाता है आदेश प्रत्यक्ष
से जारी होकर पत्रावली के अन्तर्गत
नम्बर 15.6.18 को पेश की गई।



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

(उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी..... व भू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार /नायब तहसीलदार छोटीसादडी की अनुशंसा के
आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम
तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् में खाता
संख्या..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	सेटलमेण्ट से पूर्व प्रविष्टी (शुद्ध प्रविष्टी)	सेटलमेण्ट के बाद की प्रविष्टी (अशुद्ध प्रविष्टी)	शुद्ध प्रविष्टी जो सेटलमेण्ट में दर्ज की जानी है।
1	जयपुरा	182, 101	—	जाति "संवत" वर्ष 88	जाति "डीना" वर्ष विमा जाव शक इन्डियन भव्यवत रहेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)
उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

क्रमांक:- 9/18

प्रतिलिपि:-

लोक अदालत कैम्प

दिनांक:- 20.6.18

1. तहसीलदार, छोटीसादडीको भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।